



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

--: अधिसूचना :-

दिनांक : 6/4/16

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता2016/1214

वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.2016 द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों हेतु पूर्व निर्धारित सम्बद्धता शुल्कों में शैक्षणिक सत्र 2016-17 से संलग्न शुल्क विवरणिका के अनुसार वृद्धि की अनुशंसा की गई है। जिसे कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2016 में अनुमोदित किया गया है। नवीन शुल्क सत्र 2016-17 से प्रभावशील होंगे।

संलग्न :- यथोपरि।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक : 6/4/16

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता2016/1215

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 02. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 04. क्षेत्रीय अति-संचालक उच्च शिक्षा विभाग, उज्जैन संभाग उज्जैन, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
 05. प्राचार्य, समस्त सम्बद्धता शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, परिसेत्र।
 06. समस्त उप/सहायक कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 07. वित्त अधिकारी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 08. आवासीय सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 09. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- की ओर सूचनाएँ प्रेषित।

Dextop/ZLS-2015/454

प्रो. इंचार्ज (अकादमिक)

6/4/16



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन


सत्र 2016-17 से प्रभावशील सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि का शुल्क पत्रक वित्त समिति दिनांक 16.03.2016 एवं कार्यपरिषद्, दिनांक 26.03.2016 द्वारा अनुमोदित।

शासकीय एवं शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के लिये दरें प्रति कोर्स (स्नातक स्तर)

क्रमांक	सामान्य पाठ्यक्रम	वर्ष	गैर स्ववित्तीय पाठ्यक्रम	स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
01.	बी.ए.बी.कॉम., बी.एससी., बी.एचएससी., बी.लिब., बी.एस.डब्ल्यू. (प्रत्येक कोर्स में अधिकतम चार विषयों के लिये)	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीटों तक 16,500/- प्रत्येक अगली 30 अथवा उसके किसी भाग के लिये 8,250/-	प्रथम 60 सीटों तक 49,500/- प्रत्येक अगली 30 अथवा उसके किसी भाग के लिये 24,750/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
02.	प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये	प्रतिवर्ष	प्रथम 60 सीट तक 4,400/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 2,200/-	प्रथम 60 सीट तक 13,200/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 6,600/-
	व्यावसायिक पाठ्यक्रम		गैर स्ववित्तीय व्यावसायिक त्रीवर्षीय पाठ्यक्रम	स्ववित्तीय व्यावसायिक त्रीवर्षीयपाठ्यक्रम
03.	बी.बी.ए., बी.बी.ए. (आनर्स), बी.कॉम. (आनर्स), बी.सी.ए., बी.एड., बी.पी.टी., बी.पी.एड., एल.एल.बी.,	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीट तक 27,500/- प्रत्येक अगली 60 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 13,750/-	प्रथम 60 सीट तक 55,000/- प्रत्येक अगली 60 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 27,500/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
04.	प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये	प्रतिवर्ष	प्रथम 60 सीट तक 11,000/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 5,500/-	प्रथम 60 सीट तक 22,000/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 11,000/-
			गैर स्ववित्तीय व्यावसायिक चार वर्षीय पाठ्यक्रम	स्ववित्तीय व्यावसायिक चार वर्षीय पाठ्यक्रम
05.	एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एससी. (नर्सिंग) बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस.	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीट तक 88,000/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 44,000/-	प्रथम 60 सीट तक 1,10,000/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 55,000/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	
		तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क	
		चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क	
			गैर स्ववित्तीय व्यावसायिक पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम	स्ववित्तीय व्यावसायिक पाँच वर्षीय

				पाठ्यक्रम
06.	बी.ए.एल.एल.बी.	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीट तक 27,500/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 13,750/-	प्रथम 60 सीट तक 55,000/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 27,500/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क	तृतीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		पंचम वर्ष	चतुर्थ वर्ष के अनुसार देय शुल्क	चतुर्थ वर्ष के अनुसार देय शुल्क
07.	स्नातक डिप्लोमा कोर्स	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 11,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 5,500/-	प्रथम 30 सीट तक 16,500/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 8,250/-
		द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		वार्षिक निरन्तरता शुल्क गैर स्ववित्तीय		वार्षिक निरन्तरता शुल्क स्ववित्तीय
08.	एक वर्षीय पाठ्यक्रम		13,200/- प्रतिकोर्स	22,000/- प्रतिकोर्स
09.	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम		13,200/- प्रतिकोर्स	22,000/- प्रतिकोर्स
10.	त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम		16,500/- प्रतिकोर्स	27,500/- प्रतिकोर्स
11.	चार वर्षीय पाठ्यक्रम		44,000/- प्रतिकोर्स	55,000/- प्रतिकोर्स
12.	पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम		44,000/- प्रतिकोर्स	55,000/- प्रतिकोर्स
13.	डिप्लोमा कोर्स (एक वर्षीय)		8,250/- प्रतिकोर्स	11,000/- प्रतिकोर्स
14.	डिप्लोमा कोर्स (द्वि वर्षीय)		11,000/- प्रतिकोर्स	16,500/- प्रतिकोर्स
		स्थायी सम्बद्धता, गैर स्ववित्तीय		स्थायी सम्बद्धता, स्ववित्तीय
15.	स्थायी सम्बद्धता स्नातक स्तर		22,000/- प्रतिकोर्स	27,500/- प्रतिकोर्स
16.	स्थायी सम्बद्धता डिप्लोमा कोर्स		8,800/- प्रतिकोर्स	13,200/- प्रतिकोर्स

- नोट :- 01. स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को वार्षिक निरन्तरता शुल्क निर्धारित दरो से निर्धारित तिथि तक प्रतिवर्ष जमा कराना होगा।
02. जिन महाविद्यालयों को जिन पाठ्यक्रमों में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त नहीं है उन्हें प्रतिवर्ष वार्षिक निरन्तरता शुल्क के अलावा रुपये 550/- प्रतिकोर्स अतिरिक्त जमा कराना होगा।
03. सम्बद्धता की औपचारिक सहमति हेतु शुल्क प्रतिकोर्स रु. 11,000/-
04. सीट संख्या में वृद्धि के लिए संबंधित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु निर्धारित शुल्क का 50% प्रत्येक 30 सीट हेतु देय होगा।


कुलसचिव



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन


सत्र 2016-17 से प्रभावशील सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि का शुल्क पत्रक वित्त समिति दिनांक 16.03.2016 एवं कार्यपरिषद्, दिनांक 26.03.2016 द्वारा अनुमोदित।

शासकीय महाविद्यालयों एवं शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के लिये दरें प्रति कोर्स (स्नातकोत्तर स्तर)

क्रमांक	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	वर्ष	गैर स्ववित्तीय पाठ्यक्रम	स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
01	एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी., एम.लिब., एम.एचएससी., एम.एस.डब्ल्यू.	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 16,500/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 11,000/-	प्रथम 30 सीट तक 22,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 16,500/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
02.	अतिरिक्त विषय		प्रथम 30 सीट तक 33,00/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 16,50/-	प्रथम 30 सीट तक 6,600/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 3,300/-
			गैर स्ववित्तीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम	स्ववित्तीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम
03.	एम.बी.ए., एम.एससी. (नर्सिंग) एम.एड., एम.पी.टी. एल.एल.एम., एम.सी.ए., एम.पी.एड.	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीट तक 88,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 66,000/-	प्रथम 60 सीट तक 1,10,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 88,000/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
04.	एम.एस., एम.डी. एवं अन्य त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 88,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 66,000/-	प्रथम 30 सीट तक 1,10,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 88,000/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
05.	अतिरिक्त विषय		प्रथम 30 सीट तक 33,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 27,500/-	प्रथम 30 सीट तक 44,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 33,000/-
06.	पी.जी.डिप्लोमा कोर्सेस (एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय)	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 16,500/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 11,000/-	प्रथम 30 सीट तक 22,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 16,500/-

		नोट :- यदि पी.जी.डिप्लोमा द्वि-वर्षीय हो तो द्वितीय वर्ष में भी प्रथम वर्ष के अनुसार शुल्क देय होगा।	नोट :- यदि पी.जी.डिप्लोमा द्वि-वर्षीय हो तो द्वितीय वर्ष में भी प्रथम वर्ष के अनुसार शुल्क देय होगा।
07.	रिसर्च सेंटर शुल्क	रूपये 11,000 /- प्रति विषय	
		वार्षिक निरन्तरता,	
08.	स्नातकोत्तर स्तर प्रतिकोर्स	गैर स्ववितीय 13,200 /-	स्ववितीय 27,500 /-
09.	स्नातकोत्तर स्तर प्रतिकोर्स	व्यवसायिक गैर स्ववितीय 44,000 /-	व्यवसायिक स्ववितीय 88,000 /-
10.	डिप्लोमा कोर्स (स्नातकोत्तर स्तर)	गैर स्ववितीय 8,800 /- प्रति डिप्लोमा कोर्स	स्ववितीय 13,200 /- प्रति डिप्लोमा कोर्स
11.	रिसर्च सेंटर	प्रति विषय 8,800 /-	-
12.	स्नातकोत्तर स्थाई सम्बद्धता	22,000 /- प्रतिकोर्स	27,500 /- प्रतिकोर्स

- नोट :- 01. स्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को वार्षिक निरंतरता शुल्क निर्धारित दरों से प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।
02. जिन महाविद्यालयों को स्थाई सम्बद्धता प्राप्त नहीं है उन्हें प्रतिवर्ष वार्षिक निरंतरता शुल्क के अलावा रूपये 550 /- प्रतिकोर्स अतिरिक्त जमा करना होगा।
03. सम्बद्धता की औपचारिक सहमति हेतु शुल्क प्रतिकोर्स रू. 11,000 /-
04. सीट संख्या में वृद्धि के लिए संबंधित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु निर्धारित शुल्क का 50% प्रत्येक 30 सीट हेतु देय होगा।


कुलसचिव



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

--:: अधिसूचना ::--

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता2016/12/16

दिनांक : 6/4/16

वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.2016 द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों हेतु पूर्व निर्धारित सम्बद्धता शुल्कों में शैक्षणिक सत्र 2016-17 से संलग्न शुल्क विवरणिका के अनुसार वृद्धि की अनुशंसा की गई है। जिसे कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2016 में अनुमोदित किया गया है। नवीन शुल्क सत्र 2016-17 से प्रभावशील होंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

संलग्न :- यथोपरि।

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता2016/12/17

दिनांक : 6/4/16

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 02. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 04. क्षेत्रिय अति.संचालक उच्च शिक्षा विभाग, उज्जैन संभाग उज्जैन, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
 05. प्राचार्य, समस्त सम्बद्धता शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।
 06. समस्त उप/सहायक कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 07. वित्त अधिकारी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 08. आवासीय सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 09. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- की ओर सूचनाई प्रेषित।

Dextop/ZLS-2015/454

प्रो. इंदरार्ज (अकादमिक)

10/3/16



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन


सत्र 2016-17 से प्रभावशील सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि का शुल्क पत्रक वित्त समिति दिनांक 16.03.2016 एवं कार्यपरिषद्, दिनांक 26.03.2016 द्वारा अनुमोदित।

अशासकीय महाविद्यालयों के लिये दरें प्रति कोर्स (स्नातक स्तर)

क्रमांक	सामान्य पाठ्यक्रम	वर्ष	शुल्क विवरण
01.	बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी., बी.एचएससी., बी.लिब. बी.एस.डब्ल्यू., (प्रत्येक कोर्स में अधिकतम चार विषयों के लिये)	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीटों तक 1,65,000/- प्रत्येक अगली 30 अथवा उसके किसी भाग के लिये 82,500/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
02.	प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये	प्रतिवर्ष	प्रथम 60 सीट तक 44,000/-प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 22,000/-
व्यवसायिक पाठ्यक्रम			
03.(I)	बी.बी.ए., बी.बी.ए.(आनर्स), बी.कॉम.(आनर्स), बी.सी.ए., बी.पी.टी., बी.पी.एड., एल.एल.बी.,	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीट तक 1,92,500/--प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 99,000/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
(II)	बी.एड.	प्रथम वर्ष	एन.सी.टी.ई. के अनुसार सीट हेतु 1,92,500/-
		द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
04.	प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये	प्रतिवर्ष	प्रथम 60 सीट तक 44,000/-प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 22,000/-
05.	एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एससी. (नर्सिंग), बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस.	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीट तक 3,30,000/-प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 1,65,000/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
06.	बी.ए.एल.एल.बी.	प्रथम वर्ष	प्रथम 60 सीट तक 1,65,000/- प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 82,500/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		पंचम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुसार देय शुल्क

07.	डिप्लोमा कोर्स	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 82,500/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये। 44,000/-
		द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
वार्षिक निरन्तरता			
08.	बी.एड. एवं पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग)		1,10,000/- प्रतिकोर्स
09.	बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी., बी.एचएससी., बी.लिब., बी.एस.डब्ल्यू.		55,000/- प्रतिकोर्स
10.	बी.एससी.(नर्सिंग), बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस.		1,65,000/- प्रतिकोर्स
11.	बी.कॉम.(आनर्स), बी.बी.ए.(आनर्स), बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.पी.टी., बी.पी.एड.		82,500/- प्रति कोर्स
12.	एम.बी.बी.एस.		2,20,000/- प्रतिकोर्स
13.	बी.ए.एल.एल.बी., एल.एल.बी.		55,000/- प्रतिकोर्स
14.	डिप्लोमा कोर्स (एक वर्षीय)		44,000/- प्रतिकोर्स
15.	डिप्लोमा कोर्स (द्वि वर्षीय)		55,000/- प्रतिकोर्स
स्थायी सम्बद्धता			
16.	बी.ए.बी.कॉम., बी.एससी., बी.एचएससी., बी.लिब.		82,500/- प्रतिकोर्स
17.	बी.बी.ए., बी.बी.ए.(आनर्स), बी.कॉम.(आनर्स), बी.सी.ए., बी.एड., बी.पी.टी., बी.पी.एड., एल.एल.बी., बी.ए.एल.एल.बी.		2,20,000/- प्रतिकोर्स
18.	एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एससी. (नर्सिंग) बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस.		4,40,000/- प्रतिकोर्स
19.	डिप्लोमा कोर्स		1,10,000/- प्रतिकोर्स

- नोट :- 01. स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को वार्षिक निरन्तरता शुल्क निर्धारित दरों से निर्धारित तिथि तक प्रतिवर्ष जमा कराना होगा।
02. जिन महाविद्यालयों को जिन पाठ्यक्रमों में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त नहीं है उन्हें प्रतिवर्ष वार्षिक निरन्तरता शुल्क के अलावा रूपये 2,200/- प्रतिकोर्स अतिरिक्त जमा कराना होगा।
03. सम्बद्धता की औपचारिक सहमति हेतु शुल्क प्रतिकोर्स रु. 22,000/-
04. सीट संख्या में वृद्धि के लिए संबंधित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु निर्धारित शुल्क का 50% प्रत्येक 30 सीट हेतु देय होगा।


कुलसचिव



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

सत्र 2016-17 से प्रभावशील सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि का शुल्क पत्रक वित्त समिति दिनांक 16.03.2016 एवं कार्यपरिषद्, दिनांक 26.03.2016 द्वारा अनुमोदित।

अशासकीय महाविद्यालयों के लिये दरें प्रति कोर्स (स्नातकोत्तर स्तर)

क्रमांक	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	वर्ष	शुल्क विवरण
01.	एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी., एम.लिब., एम.एचएससी. एम.एस.डब्ल्यू.	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 2,20,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 1,65,000/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
02.	अतिरिक्त विषय		प्रथम 30 सीट तक 82,500/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 44,000/-
03.	एम.बी.ए., एम.एससी. (नर्सिंग), एम.एड., एम.पी.टी. एल.एल.एम., एम.सी.ए., एम.पी.एड.	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 2,75,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 1,92,500/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
04.	एम.एस., एम.डी. एवं अन्य त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 3,30,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 1,65,000/-
		द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
		तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष के अनुसार देय शुल्क
05.	अतिरिक्त विषय		प्रथम 30 सीट तक 1,10,000/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीट अथवा उसके किसी भाग के लिये 55,000/-
06.	पी.जी.डिप्लोमा कोर्सेस (एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय)	प्रथम वर्ष	प्रथम 30 सीट तक 82,500/- इसके पश्चात प्रत्येक अगली 30 सीटें अथवा उसके किसी भाग के लिये 44,000/-
			नोट :- यदि पी.जी.डिप्लोमा द्वि-वर्षीय हो तो द्वितीय वर्ष में भी प्रथम वर्ष के अनुसार शुल्क देय होगा।
07.	रिसर्च सेंटर शुल्क वार्षिक निरन्तरता		रु. 38,500/- प्रति विषय
08.	एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी., एम.लिब.,		55,000/- प्रतिकोर्स

	एम.एचएससी. एम.एस.डब्ल्यू	
09.	एम.बी.ए., एम.एससी.(नर्सिंग) एम.एड., एम.पी.टी. एल.एल.एम., एम.सी.ए.	1,10,000/- प्रतिकोर्स
10.	एम.एस., एम.डी. एवं अन्य त्रिवर्षीय	82,500/- प्रति विषय
11.	डिप्लोमा कोर्स	55,000/- प्रति डिप्लोमा कोर्स
12.	रिसर्च सेंटर	16,500/- प्रतिविषय
	स्थायी सम्बद्धता	
13.	एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी., एम.लिब., एम.एचएससी., एम.एस.डब्ल्यू	82,500/- प्रतिकोर्स
14.	एम.बी.ए., एम.एससी.(नर्सिंग) एम.एड., एम.पी.टी. एल.एल.एम., एम.सी.ए.	1,10,000/- प्रतिकोर्स
15.	एम.एस., एम.डी. एवं अन्य त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	82,500/- प्रति विषय

- नोट :- 01. स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को वार्षिक निरंतरता शुल्क निर्धारित दरो से प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा।
02. जिन महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्राप्त नहीं है उन्हें प्रतिवर्ष वार्षिक निरंतरता शुल्क के अलावा रुपये 2,200/- प्रतिकोर्स अतिरिक्त जमा कराने होंगे।
03. सम्बद्धता की औपचारिक सहमति हेतु शुल्क प्रतिकोर्स रु. 22,000/-
04. सीट संख्या में वृद्धि के लिए संबंधित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु निर्धारित शुल्क का 50% प्रत्येक 30 सीट हेतु देय होगा।


कुलपति